राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
117 / 16	02.06.2016	11.02.2025

उनवानः

1. कृष्ण पुत्र श्री कबूल जाति अहीर
2. सरोज पुत्री श्री कबूल जाति अहीर
3. मीना देवी पत्नी स्व. जयपाल पुत्र कबूल जाति अहीर
4. सुनील पुत्र स्व. जयपाल पुत्र कबूल जाति अहीर
5. कमल पुत्र स्व. जयपाल पुत्र कबूल जाति अहीर सभी निवासी ग्राम नानगवास तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ।

..........वादीगण

बनाम

1. श्रवण पुत्र श्री श्यौनाथ सिंह जाति माली
2. महेन्द्र पुत्र श्री भगवानसिंह पुत्र श्री श्यौनाथसिंह जाति माली
3. सत्यपालसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह पुत्र श्री श्यौनाथसिंह जाति माली
4. हरफूल पुत्र श्री दीपचन्द जाति माली सभी निवासी ग्राम गिगलाना तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
5. उप पंजियक महोदय नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिति :– श्री मकरध्वज शर्मा योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से

।। निर्णय।।

पत्रावली पेश हुई। वादीगण द्वारा पेश दावा के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 220 रकबा 0.34 हैक्टर वाके ग्राम गिगलाना तह0 नीमराना मे स्थित है । जिसके संवत 2042 से पुर्व के खसरा नम्बर 147मिन रकबा एक बीघा 08 बिस्वा था। हम वादीगण के पिता श्री कबूल पुत्र श्री बिसम्बर जाति अहीर निवासी नानगवास ने आराजी खसरा नम्बर साबिक 147 मिन रकबा एक बीघा 08 बिस्वा वाके गिगलाना के 1/2 भाग व खसरा नम्बर 57 रकबा एक बिघा 14 बिस्वा वाके ग्राम गिगलाना का 1/4 भाग जरिये रजि0 बयनामा के दिनांक 23.11.1974 को मोहरसिंह पुत्र श्री जगनाथसिंह ठाकर निवासी गिगलाना से खरीद की थी । हम वादीगण का पति/पिता श्री कबूल जी अपने जीवन प्रयन्त उक्त आराजी पर बयनामा के मुताबिक काविज रहकर काश्त करता रहा तथा उनकी मृत्यृ के बाद हम वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। हम वादीगण के पति/पिता ने बयनामा के मुताबिक खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवाने के लिए पटवारी हल्का को असल बयनामा दे दिया था । लेकिन पटवारी हल्का ने खसरा नम्बर 57 रकबा एक बीघा 14 बिस्वा मे से बयनामा के मुताविक 1/4 भाग तो हम वादीगण के पिता/पति कबूल के नाम से सही दर्ज कर दिया तथा खसरा नम्बर 147 रकवा एक बीघा 08 बिस्वा मे बयनामा के मुताबिक 1/2 भाग की खातेदारी दर्ज करनी थी लेकिन पटवारी हल्का द्वारा गलती से बयनामा के मुताबिक हम वादीगण के वजुर्ग के नाम से खातेदारी दर्ज नही की बल्कि खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

57 के मुताबिक ही खसरा नम्बर 147 मे से भी 1/4 भाग की खातेदारी दर्ज कर दी, जिसकी जानकारी हम वादीगण के पति/पिता श्री कबूल जी को नही हो पायी व ना ही हम वादीगण को इस बात की जानकारी हो पायी थी क्योकि आराजी मुतनाजा पर बयनामा के मुताबिक पहले हम वादीगण का बुजुर्ग कबूल व उनके बाद हम वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है अब हम वादीगण आराजी मुतनाजा पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबन्दी की नकल ली तब पता चला कि उक्त आराजी मे हम वादीगण के पति/पिता कबूल जी के नाम से 1/4 भाग की खातेदारी दर्ज मिली तो हम वादीगण प्रतिवादीगण से इस सम्बन्ध मे बात की व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो पहले तो प्रतिवादीगण रिकार्ड दुरूस्त करवाने मे अपनी सहमती दे दी लेकिन प्रतिवादीगण को बार बार कहने पर भी रिकार्ड दुरूस्त नही करवा रहे है व दिनांक 12.03.2015 को आराजी मुतनाजा को हाल रिकार्ड के आधार पर दिगर जगह मुन्तकिल करने की धमकी दी है। आराजी खसरा नम्बर साबिक 147 रकबा एक बिघा 08 बिस्वा वाके गिगलाना के 1/2 भाग हम वादीगण के पति/पिता श्री कबूल जी द्वारा जरिये रजि0 बयनामा के दिनांक 23.11.1974 को खरीद की थी जिसके मुताबिक ही उक्त आराजी की खातेदार हम वादीगण के पति/पिता श्री कबूल जी की खातेदारी मे दर्ज होनी चाहिऐ थी लेकिन गलती व लापरवाही से 1/2 भाग के स्थान पर 1/4 भाग दर्ज कर दिया गया जिसे हम वादीगण दुरूस्त करवाकर बयनामा के मुताबिक खातेदारी दर्ज करवाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की गई।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये । प्रतिवादी सं0 1 लगा0 13 बावजूद तामिल तार07.12.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की गई ।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन मे मौखिक साक्ष्य के रूप मे पी.ड.–1 वादी कृष्ण पुत्र कबूल के तथा पी.ड.2 औमप्रकाश पुत्र प्रभाती के तथा पी.ड.–3 परमानन्द पुत्र रानपत यादव के बयान शपथ पत्र पेश किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श–1 से प्रदर्श–12 प्रदर्शित करवाये गये। प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही होने के कारण प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई। पत्रावली वास्ते बहस वादी नियत की गई।

वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा अपने दावा के तथ्यो को दौहराते हुऐ पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादीगण का वाद साबित होने के कारण, डिक्री फरमाया जाने के तर्क दिये गये।

हमने वकील वादीगण द्वारा पेश लिखित बहस का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रदर्श– 1 से 12 का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर पेश बयनामा प्रदर्श–4 का अवलोकन करने से खसरा नम्बर 57रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा का 1/4 भाग तथा खसरा नम्बर 147 रकबा 1 बिघा 8 बिस्वा का 1/2 भाग मोहरसिंह पुत्र जगनाथसिंह ठाकर ने कबूलचन्द पुत्र बिशम्भरयाल अहीर निवासी नानगवास को रजि0 बयनामा दिनांक 23.11.1974 को किया जाना साबित होता है तथा पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 के मुताबिक खसरा नम्बर 57 के नये खसरा नम्बर 258 रकबा 0.44 है0 कायम किये गये तथा साबिक खसरा नम्बर 147 के नये खसरा नम्बर 220 रकबा 0.34 है0 कायम किये गये है। पत्रावली पर उपलब्ध इंतकाल सं0 173 जो बयनामा दिनांक 23.11.1974 के आधार पर खोला गया है जो सही खोला गया है। लेकिन जमाबन्दी मे अंकन करते समय खसरा नम्बर 258 मे खातेदारी सही दर्ज कर दी और खसरा नम्बर 220 मे खरीददार के नाम से 1/2 हिस्से की बजाय गलती से हिस्सा–1/4 दर्ज कर दिया गया। जबकि बयनामा के मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपुतली-बहरोड़)

इस खसरा नम्बर मे 1/2 की खातेदारी खरीददार कबूलचन्द के नाम से दर्ज होनी चाहिऐ थी। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष नही रखा गया। इसलिए पत्रावली पर वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजात एवं तथ्यो के पूर्ण अवलोकन से वादीगण का वाद हिस्सा दुरूस्ती की सीमा तक साबित होने के कारण न्यायालय की राय के मुतबिक आंशिक रूप से डिक्री होने येाग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक रूप से इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 220 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम गिगलाना तह0 मांढण के हाल राजस्व जमाबन्दी मे दर्ज खातेदारी इन्द्राज "कबूलचन्द पुत्र बिसम्बर हि0–1/4 श्यौनाथसिंह पुत्र उमराव हिस्सा–3/8 हरफूल पुत्र दीपचन्द हिस्सा–3/8 " को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर " "कबूलचन्द पुत्र बिसम्बर हि0–1/2 श्यौनाथसिंह पुत्र उमराव हिस्सा–1/4 हरफूल पुत्र दीपचन्द हिस्सा–1/4 " दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तथा पत्रावली फैसल सूमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
117 / 16	02.06.2016	11.02.2025

उनवान:

1. कृष्ण पुत्र श्री कबूल जाति अहीर
2. सरोज पुत्री श्री कबूल जाति अहीर
3. मीना देवी पत्नी स्व. जयपाल पुत्र कबूल जाति अहीर
4. सुनील पुत्र स्व. जयपाल पुत्र कबूल जाति अहीर
5. कमल पुत्र स्व. जयपाल पुत्र कबूल जाति अहीर सभी निवासी ग्राम नानगवास तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ।

...........वादीगण

बनाम

1. श्रवण पुत्र श्री श्यौनाथ सिंह जाति माली
2. महेन्द्र पुत्र श्री भगवानसिंह पुत्र श्री श्यौनाथसिंह जाति माली
3. सत्यपालसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह पुत्र श्री श्यौनाथसिंह जाति माली
4. हरफूल पुत्र श्री दीपचन्द जाति माली सभी निवासी ग्राम गिगलाना तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
5. उप पंजियक महोदय नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिति :– श्री मकरध्वज शर्मा योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक रूप से इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 220 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम गिगलाना तह0 मांढण के हाल राजस्व जमाबन्दी मे दर्ज खातेदारी इन्द्राज ''कबूलचन्द पुत्र बिसम्बर हि0–1/4 श्यौनाथसिंह पुत्र उमराव हिस्सा–3/8 हरफूल पुत्र दीपचन्द हिस्सा–3/8 '' को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर '' ''कबूलचन्द पुत्र बिसम्बर हि0–1/2 श्यौनाथसिंह पुत्र उमराव हिस्सा–1/4 हरफूल पुत्र दीपचन्द हिस्सा–1/4 '' दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई ।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0